<u>गौतम बुद्ध नगर स्थित जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 का कार्यवृत्त</u>

उपस्थिति:-

1. श्री अनूप पाण्डेय, आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
2. श्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्री अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. श्रीमती अलकनन्दा दयाल, सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
5. श्री एम0पी0 अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. श्री सूर्य पाल गंगवार, निदेशक, नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश।
7. श्री देवीदास, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. श्री अखण्ड प्रताप सिंह, विशेष सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. श्री रणधीर सिंह, विशेष सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा बैठक में बताया गया कि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को जेवर एयरपोर्ट की परियोजना से सम्बन्धित समस्त कार्यों के लिए नोडल एजेन्सी नामित करने का आदेश औद्योगिक विकास अनुभाग-3 के स्तर से दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 को निर्गत कर दिया गया है।

2- निर्णय लिया गया कि:-

a. यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को कन्सल्टेन्ट के चयन के लिए अधिकृत किया गया। और तदनुसार टीईएफआर एवं डीपीआर के लिए कन्सल्टेन्ट का चयन नियमानुसार करके अग्रेतर कार्यवाही प्रशस्त किया जाए।
b. YEWA से अपेक्षा की गई कि TEFS एवं DPR का Preparation/updation शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाए।
c. जेवर ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की परियोजना के लिए अपेक्षित कार्यवाही समयबद्धता के साथ प्रशस्त करने के लिए यमुना एक्प्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सम्बन्धित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले एक योग्य और सक्षम अधिकारी का चयन करके विशेष कार्याधिकारी के रूप में तैनात करेंगे।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-82/2017/1649/छप्पन-2017-31/16
लखनऊ: दिनांक 23 अक्टूबर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।
2- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।